(36)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर **जमाबन्दी रद्द वाद अभिलेख सं0 10/2003–04, 04/2008–09** **राज्य बनाम भरत लाल महतो पिता थानु महतो साकिन गनियाडीह**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
17.5.17 18.5.17	आदेश	

आदेश

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 1373/भू.सु. दिनांक 05.12. 2007 द्वारा मौजा गनियाडीह के खाता सं0 10 खेसरा 27 के सम्मिलात रकवा 18. 54 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि की भरत लाल महतो पिता थानु महतो साकिन गनियाडीह के नाम से कायम जमाबन्दी को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख प्राप्त हुआ।

प्रश्नगतत भू–खण्ड सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम प्रतिवेदित है। इस भू–खण्ड के रकवा 04.80 एकड़, 05.90 एकड़ तथा 07.80 एकड़ की जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ट सं0 351, 371, 421 भरत लाल महतो पिता थानु महतो के नाम से वगैरसक्षम पदाधिकारी के आदेश से जमाबन्दी प्रविष्टि की गई है। अंचल अधिकारी, जमुआ के अभिलेख सं0 10/2003–04 के दिनांक 20.01.2006 के आदेश फलक से स्पष्ट है कि पंजी–II रैयत की और से दाखिल किये गये कुल 09 लगान रसीद का सत्यापन अंचल कार्यालय के भंडार पंजी से किया गया है तथा अंचल अधिकारी के सत्यापन के पश्चात यह पाया गया है कि प्रश्नगत रसीद अंचल कार्यालय के भंडार पंजी में दर्ज नहीं है। लगान रसीद का क्रमांक निम्नवत है:–

तिथि	रसीद संख्या
13.03.1974	219886
18.02.1984	749772
03.02.1986	168885
13.03.1974	219892
18.02.1984	749773
03.02.1986	168884
01.02.1964	377038
10.02.1984	749776
03.03.1986	16880

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गलत रसीद की प्रविष्टि की गई है। भूमि के संबंध में दाखिल किये गये रिटर्न के संबंध यह भी उल्लेख किया गया है कि इस भूमि का रिटर्न भरत लाल महतो के नाम से दाखिल नहीं किया गया है।

इस मामले में विचारनीय मुद्दा यह है कि :–

1. क्या प्रश्नगत जमीन की जमाबन्दी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम की गई है ?

	अंचल अधिकारी, जमुआ के पत्रांक 1325 दिनांक 20.12.2016 द्वारा संसूचित प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी वगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम की गई है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भरत लाल महतो पंचायत सेवक के रूप में कार्यरत थे। इनके द्वारा सादा एवं फर्जी हुकुम्नामा के आधार पर अपने नाम(भरत लाल महतो के नाम) पंजी–II में प्रविष्टि कर ली गई। अतः भरत लाल महतो पिता थानु महतो के नाम से मौजा गनियाडीह खाता सं0 10 खेसरा 27 के सम्मिलात रकवा 18.54 एकड गैरमजरूआ खास भूमि की कायम संदिग्ध जमाबन्दी को जगदेव महतो एवं कमिशनर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है। संपुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय। 18/05/17 अपर समाहर्ता गिरिडीह। उपायुक्त, गिरिडीह।	